

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्र.नं० 351 / 2025

1. गुरविन्द्र सिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति कम्बोज निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम्

1. महेन्द्र कौर पत्नी कर्मसिंह जाति कम्बोज निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

2. तरसेम सिंह पुत्र कर्मसिंह जाति कम्बोज निवासी 13 ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

3. दर्शनसिंह पुत्र कर्मसिंह जाति कम्बोज निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

4. दलजीत कौर पुत्री कर्मसिंह पत्नी साहब सिंह जाति कम्बोज निवासी नवां मुंबे की तहसील व जिला फाजिल्का ।

5. मलकीत कौर पुत्री कर्मसिंह पत्नी कश्मीरसिंह जाति कम्बोज निवासी वार्ड नं० 17, रतिया तहसील रतिया जिला फतेहाबाद ।

6. रणजीत कौर पुत्री कर्मसिंह पत्नी कलविन्द्र सिंह जाति कम्बोज निवासी बुर्जवाला तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर ।

7. गुरमेज कौर पुत्री कर्मसिंह पत्नी सविन्द्र सिंह जाति कम्बोज निवासी 52 एफ तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/9/25.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चकनं० 13 एनजीसी के खाता सं० 33/30 में कुल 0.253 है० आराजी में से कर्मसिंह के 127/759 हिस्सा की आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकनं० 13 एनजीसी के खाता सं० 33/30 में से कर्मसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/25..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (R.A.S.)  
पदेन श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.